

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 07/10/2020


क्रमांक: 785 / 207 / आउशि / शा-5'अ' / 2020 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 949 / 2020 / सीसी / 2020 / अड़तीस, दिनांक 31.07.2020 एवं क्रमांक 425 / सीसी / 2020 / 38, दिनांक 25.08.2020 के तहत शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु संशोधित समय-सारणी जारी की गई थी।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सी.एल.सी तृतीय चरण स्नातक स्तर पर दिनांक 09.10.2020 से 26.10.2020 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर दिनांक 14.10.2020 से 29.10.2020 तक संचालित करने के लिये सत्र 2020-21 के अंतर्गत सी.एल.सी. तृतीय चरण ऑनलाईन ई-प्रवेश निम्नानुसार आयोजित किया जाता है।

ऑनलाइन ई-प्रवेश संशोधित समय-सारणी : सत्र : 2020-21  
(epravesh.mponline.gov.in)

क्र.	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)	
		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
<b>सी.एल.सी. तृतीय चरण</b>					
1.	महाविद्यालयों में सीएलसी द्वितीय चरण के पश्चात् (CLC तृतीय चरण हेतु) रिक्त रहे गये स्थानों का महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना।	09-10-2020		14-10-2020	
2.	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का विकल्प देना।	09-10-2020	14-10-2020	14-10-2020	19-10-2020
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से करना।	09-10-2020	15-10-2020	14-10-2020	20-10-2020
3.	(अ) महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की मेरिट सूची जारी करना।	19-10-2020		24-10-2020	
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटली ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना।	19-10-2020	26-10-2020	24-10-2020	29-10-2020
	(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	09-10-2020	26-10-2020	14-10-2020	29-10-2020

❖ उपरोक्त समय सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनातर्गत पंजीयन तथा सत्यापन कराकर विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

  
(चन्द्रशेखर वालिम्बे)

अपर आयुक्त  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.

निरन्तर...2,

पृ. क्रमांक 78/207/आउशि/शा-5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 07/10/2020.  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल राजभवन, सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय,
4. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल,
5. अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. कुलसचिव,समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/  
जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र.।
10. प्राचार्य,समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,आई.टी.शाखा,उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा  
भवन भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।



अपर आयुक्त  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश